दस्तावेज सं. निनिप/दुग्ध दिशा निर्देशन अगस्त 2002/जारी

दुग्ध संयंत्र अनुमोदन योजन पर निर्यातकर्ताओं के लिए दिशा निर्देशः

0. प्रस्तावना

अनेक आयातक देश परेषणावार निरीक्षण की अपेक्षा जोखिम विश्लेषण नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) जैसी खाद्य प्रणाली सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन पर बल दे रहे हैं इसलिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना संख्या का.आ. 2719 और का.आ. 2720 तारीख 16.12.2000 के अनुसार दुग्ध उत्पादों को अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है इस अधिसूचना के अधीन दुग्ध संसाधन संयंत्रों का अनुमोदन सुरक्षित और पौष्टिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी स्वास्थ्य पद्धतियों और प्रक्रिया नियंत्रणों का अनुसरण करने के आधार पर किया गया है इस आदेश/अधिसूचना के खंड–3 में दी गई अपेक्षाओं को संसाधन संयंत्रों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को सक्षम प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

1. कार्य क्षेत्र

यह दिशा निर्देश निर्यातकों की जानकारी के लिए है उनके संयंत्र को दुग्ध संयंत्र योजना के अंतर्गत निनिअ द्वारा निरीक्षण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु है।

2. अनुमोदन के लिए आवेदन करने की कार्यविधि।

2.1 प्रसंस्करणकर्ता संबधित निनिअ को उपाबंध–1 में निर्धारित प्रपत्र को तीन प्रतियों में भरे प्रस्तुत आवेदन को जमा कराएगा।

2.2 आवेदन के द्वारा अनुमोदन के लिए निर्धारित शुल्क रु. 5,000/– संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

2.3 आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगाः

- क) फैक्ट्री मैनुअल/एचएसीसीपी मैनुअल, यदि संभव है, तो सफाई मानक संचालित प्रक्रिया और संगठन चार्ट।
- ख) दुग्ध उत्पादन के संसाधन के लिए प्रयुक्त पानी के संबंध में जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।
- ग) अभिविन्यास योजना।
- घ) प्रक्रिया फ्लो चार्ट।
- ङ) नलसाजी आरेख।
- च) आवेदक के संयंत्र और उसके संचालन के कार्य क्षेत्र की विधिक पहचान प्रभावित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- छ) परिसरों व भवन के लिए पट्टे के करारनामों की प्रमाणित प्रति जहां आवश्वक हो।
- ज) तकनीकियों/पर्यवेक्षकों/रसायनविदों का जीवन वृत्त।
- झ) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति–पत्र व प्रमाणित प्रति।
- ण) आयातकर्ता, निर्यातकर्ता कोड संख्या (आईईसी) आबंटित आदेश की प्रमाणित प्रति।

3. अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण हेतु आवेदन पत्र।

3.1 निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाएगी और पाई गई विसंगतियों/कमियों के शुद्धिकरण के लिए आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

3.2 सभी चरणों से पूर्ण आवेदन–पत्र, संयंत्र के मूल्यांकन की व्यवस्था करने के लिए आयोजन–अंतर्विभागीय पैनल को (आईडीपी) अग्रेषित कर दिया जाएगा।

3.3 संसाधन संयंत्र में उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता जानने के लिए मूल्यांकन आईडीपी द्वारा किया जाएगा। जिससे एपीईडीए, एमडीआरआई, कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय/संसाधन उद्योग मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि समेकित किए जाएंगे।

3.4 यदि संयंत्र आईडीपी द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की जाती है और उसकी सिफारिश निनिअ प्रभारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो निनिअ द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी।

क) एकक को विशिष्ट अनुमोदन संख्या दी जाएगी व निम्नलिखित संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाएगाः

अभिकरण का नाम	आबंटित कोड
निर्यात निरीक्षण अभिकरण–मुम्बई	एचपी–01–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोलकाता	एचपी–02–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण–कोचीन	एचपी–03–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण–दिल्ली	एचपी–04–001/अनुमोदन वर्ष
निर्यात निरीक्षण अभिकरण–मद्रास	एचपी–05–001/अनुमोदन वर्ष

(एमपी–दुग्ध उत्पाद 0.01 अभिकरण कोड और तीन अंकीय कोड विशिष्ट संख्या)

ख) अनुबंध–II के अनुसार अनुमोदन पत्र एकक को जारी किया जाएगा।

ग) निनिप अनुबंध–III के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करेगी।

3.5 यदि आईडीपी को कोई अपूर्णता दिखाई देती है, तो 3 महीने की अवधि में संशोधन किया जाना चाहिए, कि सूचना आवेदक को आवश्यक सुधार हेतु भेजी जाएगी। जो उचित कार्यवाही के सत्यापन पर आधारित होगी, का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

3.6 यदि आईडीपी अनुमोदन की सिफारिश नहीं करता है, निनिप का संबंधित प्रभारी आईडीपी की रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर आवेदन का संयंत्र अनुमोदन हेतु नहीं किए जाने की सूचना कारणों सहित आवेदक को देगा।

3.7 निर्यात पैकेज पर चिन्हन।
निर्यातकर्ता को निर्यात पैकेजों पर निम्नलिखित का चिन्हन सुनिश्चित करना होगाः–
क) दुग्ध उत्पादकों के सभी निर्यात पैकेजों पर अनुमोदन नम्बर सुस्पष्ट छपा/स्टेंसिल किया होना चाहिए (अधिसूचना के आधार पर संदर्भित)
ख) पैकेजों पर ''क्यू'' चिन्हन संयंत्र प्रसंस्करणों द्वारा पैकेजों पर निम्नलिखित नमूना अपनाया जाएगाः

''क्यू''

ग) अन्य चिन्हन आयातित देश या क्रेता द्वारा स्वतः अपेक्षित है।

नोटः– निर्यात पैकेज से अभिप्राय भारत में उत्पादित कस्टम के समक्ष रखे जाने वाले अंतिम उत्पाद से है और जो आयातित बिन्दु पर कस्टम द्वारा प्राप्त निरीक्षित किया जाता है, से है।

3.7 अनुमोदन की वैधता

संबंधित निनिअ द्वारा अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक अनुमोदन वैध होगा।

3.8 निरीक्षण शुल्क

प्रसंस्कारी द्वारा बोर्ड पर निशुल्क एफ.ओ.बी. मूल्य का 0.2 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान प्राधिकृत उदः निर्यात निरीक्षण अभिकरण को देगा।

4. अनुमोदित संयंत्र के अनुमोदन का नवीनीकरण

4.1 अनुमोदन का नवीनीकरण चाहने वाले अनुमोदित संयंत्र को पूर्व अनुमोदन समाप्त होने से कम से कम 60 दिन पूर्व संबंधित निनिअ को अनुबंध–II/में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा और अन्य संबंधित दस्तावेज सहित तथा रु. 5,000/– का आवेदन शुल्क संबंधित निनिअ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा के रूप में होगा।

4.2 आईडीपी संयंत्र का मूल्यांकन करेगी, यदि आईडीपी संयंत्र नवीनीकरण के लिए सिफारिश करती है, तो प्रसंस्कारी इकाई के अनुमोदन का नवीनीकरण दे दिया जाएगा।

5. निर्देश और नियंत्रण।

5.1 प्रतिस्थापन/प्रबंधन द्वारा निगरानी के अनुसार विवरण निम्नलिखित हैः–

5.1.1 प्रसंस्करणकर्ता का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा कि अधिसूचना की अपेक्षाओं का अनुसरण सुनिश्चित करे तथा उत्पाद की संपूर्णता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें।

5.1.2 प्रसंस्करणकर्ता/अधिसूचनानुसार अपेक्षित नियंत्रणों पर कार्यवाही करेगा और क्रमशः तदर्थ/मुख्य क्षेत्रों पर अभिलेखों का रखरखाव करेगा।

- कच्चा माल नियंत्रण
- अहाते के संबंध में स्वच्छतात्मक अपेक्षाएं
- नक्शा और संरचना
- कीट नियंत्रण प्रतिबद्धता, प्रवास, रसायन का प्रयोग
- रखरखाव
- सफाई और स्वच्छता
- व्यक्तिगत स्वच्छता
- विश्राम गृह
- जल प्रबंधन
- रसायन
- प्रकाश वायु संचारण
- अपशिष्ट निपटान अविरल शोधन सहित

- उत्तम निर्माण क्रियाएं (जीएमपी)

5.1.3 प्रसंस्करण संयंत्र उपरोक्त खंड 5.1.2 की अपेक्षाओं का अनुसरण सुनिश्चित करेगा।

5.1.4 प्रक्रिया नियंत्रण नमूनों/अंतिम उत्पाद नमूनों/स्वच्छता नियंत्रण नमूनों की नियमित जांच प्रसंस्कारी संयंत्र की प्रयोगशाला अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रयोगशाला में की जाएगी।

5.1.5 कच्चे दुग्ध की जांच, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र प्राप्त होने वाले कच्चे दुग्ध की क्वालिटी पर उचित नियंत्रण रखेगा। निनिप द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पैरामीटर के अनुसार निनिप के बाहर मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में कच्चे दुग्ध की जांच या जांच करने का प्रबंध करेगा। प्रसंस्करणकर्ता निनिअ द्वारा आंकड़ों के रखरखाव का सत्यापन करेगा और अवशेष निगरानी योजना के अंतर्गत निनिप को अपेक्षित अनुसरण के लिए अग्रेषित करेगा।

- दुग्ध में कीटनाशक अवशिष्टियों की जांच दो माह में एक बार की जाएगी।
    - ऑर्गेनोक्लोरिन समूह (समूह जांच)
    - ऑर्गेनो–फॉसफोरियस समूह (समूह जांच)
    - ऑर्गेनो–सल्फर समूह (समूह जांच)
    - कार्बामेट्स समूह
    - ऑर्गेनिक एसिड समूह
- औषधियां – सप्ताह में एक बार
    - कुल अवशेष प्रतिजैविक (जैसे बेटालेक्टम)
- भारी खनिज – महीने में एक बार
    - लैड – एमजी/केजी
    - आरसेनिक – एमजी/केजी
    - टिन – एमजी/केजी
    - केडमियम – एमजी/केजी
    - जिंक – एमजी/केजी
    - मरकरी – एमजी/केजी
- एल्फाटॉक्सिन – महीने में एक बार
    - कुल एल्फॉटॉक्सिन, पीपीबी
    - एल्फॉटॉक्सिन एमएल, पीपीबी

5.1.6 उपरोक्त मापदंडों की जांच दी गई प्रणाली एओएसी/कोडेक्स/अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आज तक उपलब्ध प्रणालियों के अनुसार की जाएगी।

5.1.7 यदि कोई अधिसूचना की अपेक्षाओं से विकल्प मापों द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5.2 निनिप द्वारा निगरानी

अनुमोदित इकाई द्वारा उल्लिखित, निम्नलिखित तृतीय निगरानी प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा।

5.2.1 निनिअ द्वारा पर्यवेक्षण दौरा

(क) निनिअ के अधिकारी न्यूनतम तीन माह में एक बार संयंत्र की प्रस्तुति पर, आवृत्ति पर पर्यवेक्षण दौरे करेंगे।

- गत वर्ष पर्यवेक्षण दौरों की रिपोर्ट
- पूरवर्ती वर्ष के नमूनों की विश्लेषण जांच की रिपोर्ट
- आयातित देशों से क्वालिटी से संबंधित शिकायतें प्राप्त की गई

(ख) खंड–5.1.2 के और 5.1.4 सहित अंतर्गत दिए गए सभी बिन्दुओं की निगरानी का दृढ़ता से पालन किया गया है।

- लेखों का सत्यापन।
- प्रक्रिया नियंत्रण का सत्यापन, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यावहारिकता।
- अधिसूचना में विनिर्देशित मापदण्डों का सत्यापन सहिष्णुता सीमाओं के अंतर्गत है।
- सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्पाद की संपूर्णता के लिए अंतिम उत्पाद के नमूना का प्राप्त करना
- प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा अवलोकित निनिअ की प्रयोगशाला में जांच के परिणामों का सत्यापन

5.2.2 निनिअ द्वारा पर्यवेक्षक दौरा।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण छः माह के एक बार आवृत्ति पर पर्यवेक्षक दौरा करेगा। पर्यवेक्षक अधिकारी अधिसूचना की अपेक्षाओं के अनुसरण के अनुसार उत्पादों को और दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और पूर्व में दिए गए गुणवत्ता पर्यवेक्षण दौरे को सत्यापित करेगा। विशेष रूप से दवाइयों के कीटनाशी और भारी खनिजों के अवशेषों पर ध्यान दिया जाएगा।

5.2.3 निनिअ लेखा परीक्षा

निनिप द्वारा कम से कम एक बार प्रणाली को पर्याप्तता के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित लेखा परीक्षा नहीं किया जाएगा, बल्कि निरीक्षण क्षेत्र में प्रणाली के संचालन के अनुसरण के लिए भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के अंतर्गत निनिअ के संचालन में, लेखा–परीक्षा में, अनुमोदित इकाइयों के न्यूनतम 10 प्रतिशत का मूल्यांकन किया जाएगा।

6. निरीक्षण प्रमाणपत्र का प्रकाशन

प्रत्येक अनुमोदित संयंत्र प्रत्येक निर्यात पारेषण के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा। खाली (ब्लैंक) प्रमाणपत्र, पुस्तकें संबंधित निनिअ से प्रत्येक सैट के प्रमाणपत्र फॉर्म 20/– रु. में उपलब्ध होंगे। अनुमोदित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को (अनुबंध–1/पर संलग्न प्रारूप) निनिअ द्वारा खाली प्रमाणपत्र जारी किए जाएगें। निरीक्षण की समाप्ति की तारीख से निरीक्षण प्रमाणपत्र 45 दिनों के लिए वैध माना जाएगा।

7. व्यापारी निर्यातक

7.1 किसी स्थिति में निर्यातक अनुमोदित संयंत्र प्रकोष्ठ–14 (एफ.ओ.बी. मूल्य) रिक्त छोड़ देता है, तो व्यापारी निर्यातक को यह प्रकोष्ठ भरेगा, हस्ताक्षर करेगा और रबड़ की मोहर लगातार निर्यातक फार्म का नाम और पता लिखेगा। यह अनिवार्य होगा कि नाम और पता जो प्रकोष्ठ 14 में दिया गया है, वह सूचना प्रकोष्ठ–। से मिलती हो।

7.2 यदि अनुमोदित, संयंत्र निरीक्षण प्रमाणपत्र के प्रकाशन के समय प्रकोष्ठ–14 के अंतर्गत व्यापारी निर्यातक की संभावित उत्पादन का मूल्य दे रहा है, तो प्रसंस्करणकर्ता मूल तथा निरीक्षण प्रमाणपत्र

की प्रतियों पर रबड़ की मोहर लगाएगा, उसके उपरोक्त व्यापारी/निर्यातक निनिअ को दिए गए अनुवीक्षण शुल्क के आधार पर उचित पूर्व पोत लदान मूल्य का उल्लेख करेगा।

'' यदि पूर्व पोत लदान मूल्य में कोई परिवर्तन होता है,
तो कस्टम निर्यातक को परामर्श देकर निकटतम निनिअ
में अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क देकर संशोधन करा सकता है''

7.3 व्यापारी–निर्यातक डिमांड ड्राफ्ट/चैक के रूप में संबंधित निनिअ को पूर्व पोत लदान मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से निरीक्षण शुल्क देगा।

8. निनिअ अभिकरणों को अनुवीक्षण शुल्क का भुगतान।

8.1 प्रत्येक अनुमोदित संयंत्र को निकटतम निनिअ कार्यालय के साथ पास बुक प्रणाली संचालित करनी होगी। अनुमोदित संयंत्रों को तब तक कोई खाली निरीक्षण प्रमाणपत्र फार्म नहीं प्रदान किया जाएगा जब तक उस प्रक्रम एकक के पास बुक खाते में राशि शेष न हो।

8.2 जब कभी निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तब अनुमोदित प्रक्रम संयंत्र स्वयं अपनी पास बुक में अनुवीक्षण शुल्क घटाएगा और सिस्टम निनिअ कार्यालय को अग्रसारित करने से पूर्व तीसरी प्रति में जमा शेष की प्रवृष्टि करेगा।

9. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना

निम्न परिलेख जमा कराने पर प्रक्रम की प्रार्थना पर परिशिष्ट–1/1 पर दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वास्थता प्रमाणपत्र या आयातित देश के स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य प्रकार का वांछित प्रारूप निनिअ निम्नलिखित दस्तावेजों के जमा करने पर जारी किया जाएगा।

- प्रसंस्करणकर्ता द्वारा जारी संबंधित पारेषण के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र की प्रति।
- परेषण के उत्पादन की अवधि के लिए कीटनाशक औषधि तथा ठोस धातुएं अवशेष के परीक्षण के आंकड़े।
- आयतित देशों के अपेक्षाओं के अनुसार परेषण के अनुसरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रयोगशाला जाँच रिपोर्ट एक अतिरिक्त मापदंड को सूचित करेगा, प्रत्येक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के लिए रु. 100/– शुल्क के रूप में लिए जाएंगे।

10. अपील

कोई व्यक्ति निर्यातक निनिअ के किसी निर्यातक तथा ऐसे निर्णय की जानकारी दस दिन के अंदर निदेशक (निरी. एवं क्वा. नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण परिषद को अपील कर सकता है, अपील इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ के पैनल को भेजी जाएगी और इसकी प्राप्ति के 15 दिन के अंदर निपटान किया जाएगा, ऐसी अपील में विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

परिशिष्ट–I

अनुमोदन के लिए प्रार्थन–पत्र

द्वारा

. . . .

. . . .

. . . .

सेवा में,

संयुक्त निदेशक प्रभारी,

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

महोदय,

कृपया दुग्ध उत्पाद के निर्यात के लिए संसाधन (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2000 दुग्ध उत्पाद के निर्यात के अंतर्गत यथावांछित हमारे संयंत्र का मूल्यांकन करें।

हम अपने संयंत्र में वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं की जानकारी निम्न अनुसार देते हैं।

हम अपने संयंत्र में (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण तथा अनुवीक्षण) नियम, 2000 दुग्ध उत्पाद के निर्यात में नियत अनुबंधित अपेक्षाओं का उत्तरदायित्व लेते है।

कृपया इसके साथ आवेदन शुल्क के रूप में रु. 5,000/– डिमांड ड्राफ्ट/चैक सं. . . . . दि. . . . . संलग्न है।

1.	**सामान्य सूचनाएं**	
1.1	अनुमोदन के इच्छुक संयंत्र का नाम व पता।	
1.2	प्रसंस्करण कोड सं., यदि कोई है, निनिअ से आवंटित।	
1.3	मुख्य कार्यकारी का नाम (प्रा.नि./वि. सहभागी स्वत्वाधिकारी)	
1.4	क्या प्रक्रम संयंत्र आवेदनकर्ता द्वारा स्वामित्व या पट्टे पर है।	स्वामित्व/पट्टे पर
1.5	यदि पट्टे पर है, संयंत्र स्वामित्व का नाम, संयंत्र का नाम व पता।	
1.6	निर्माण वर्ष	
1.7	पिछले वृहत परिवर्तन का वर्ष।	
1.8	(देशों) के निर्यात के लिए अनुमोदन प्रार्थना की।	
1.9	(उत्पाद) के निर्यात के लिए अनुमोदन प्रार्थना की।	
1.10	अतिरिक्त गतिविधियां, यदि कोई है।	
1.11	पिछले वर्ष के दौरान वार्षिक उत्पादन। क) दुग्ध उत्पाद ख) अन्य (विनिर्दिष्ट)	
1.12	गत वर्ष में कुल निर्यात। क) नाम (नामों) जिन देशों को निर्यात किया गया।	
1.13	यद्यपि पूरे वर्ष उत्पादन या ऋतु अनुसार उत्पादन।	
1.14	प्रतिदिन कार्य घंटों की संख्या।	.

1.15	प्रत्येक सप्ताह कार्य दिवसों की संख्या।	
2.	**संस्थापन की संरचना।**	
2.1	कच्चे माल के परिवहन के लिए प्रतिस्थापन में वाहनों की संख्या कच्चा उत्पाद बर्फ, और जल (यदि लागू है) क्षमता और पंजीकृत संख्या। क) प्रशीतित वाहन ख) इंसुलेट वाहन (उष्मारोधी वाहन) ग) उष्मारोधी वाहन घ) तिपहिया ङ) जल की टंकियाँ	संख्या, समता, पंजीकृत,
2.2	क्या प्रतिस्थापन है पास किराए पर वाहन है।	
3.	**कार्मिकों की संख्या**	
3.1	संस्थापन में उपलब्ध प्रौद्योगिकीविद की संख्या (तकनीशियनों की संख्या)	
3.2	प्रसंस्करण तथा संबंधित संचालन की निगरानी कर रहे तकनीशियनों के नाम व संख्या (पृथक संलग्न सूची)।	
3.3	सूक्ष्म जीवाणु के कार्य संचालन और रसायन विश्लेषण कर रहे तथा नाम तथा तकनीशियनों की योग्यता।	
3.4	पर्यवेक्षकों की संख्या।	
3.5	पुरूष कार्मिकों की संख्या।	
3.6	स्त्री कार्मिकों की संख्या।	
3.7	प्रतिदिन पारी की संख्या।	
4.	**कच्ची सामग्री**	
4.1	कच्ची सामग्री के स्रोत	
4.3	स्रोत से प्रसंस्करण संयंत्र तक कच्ची सामग्री की ढलाई का परिवहन।	
4.4	क्या अखिल शीतित सुविधाएं उपलब्ध है।	
4.5	यदि पृथक है, पते और अनुमोदित नं. दिए जाए।	
4.6	क्या प्रथम संसाधन कक्ष प्रतिस्थापन के नियंत्रण में है।	
4.7	क्या वहां पर कच्ची सामग्री को प्राप्त करने का प्रबंध है, यदि ऐसा है, उन्हीं का विवरण दें।	
4.8	क्या उपरोक्त अभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से किया गया है।	
4.9	संसाधन संयंत्रों से संग्रह केन्द्र की दूरी।	
4.10	क्या स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर किसानों की शिक्षा के लिए बुनियादी व्यवस्था है।	
4.11	स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए कृषकों को अन्य प्रोत्साहन दिया जाता है।	
4.12	कच्ची सामग्री ले जाने वाले डिब्बों के संयंत्रों का निरीक्षण किया गया।	

5.	**परिवेश**	
5.1	क्या अहाते में सुसंस्कृत मैदान है।	
5.2	क्या परिसर स्वच्छ है	
5.3	क्या संस्थापन के/में कोई ऐसा क्षेत्र है, जहां कार्य नहीं होता है।	
5.4	यदि ऐसा है, प्रभावी रूप से सुसज्जित किया गया है।	
5.5	क्या वहां पर कोई दलबल, स्थिर पानी है या आसपास जमाव है।	
5.6	क्या परिसर की सड़के संगठित कोलतार की हैं या घास हवा से उड़ने वाली धूल को रोक सकने वाली है।	
5.7	क्या वहां बंदगाह के समीप किसी कीट के चिन्ह है या संयंत्र के परिवेश में कूड़ा–करकट, कचरा या अनुपयोगी सामान इकट्ठा है।	
5.8	परिवेश में आपत्तिजनक दुर्गन्ध, धुंआ, धूल और अन्य संदूषण से मुक्त है।	
5.9	क्या अनुपयोगी संग्रहित डिब्बे स्वयं बंद होने वाले किस्म के हैं।	
6.	**संरचना और अभिन्यास।**	
6.1	क्या भवन संरचना स्थायी प्रकृति की है।	
6.2	क्या आकार और अभिविन्यास इस प्रकार के संदूषण प्रतिरोधक है	
6.3	क्या कार्य में युक्त बहाव की सुविधाएं दी गई है और पूर्व पगडण्डी से बचाया गया है।	
6.4	क्या सुविधाओं में अच्छी मरम्मत की गई है।	
6.5	क्या उचित मरम्मत की प्रणाली है।	
6.6	क्या भवन में कीड़े–मकोड़ों और पक्षियों इत्यादि के प्रवेश–रोधक के लिए समुचित संरचना की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।	
6.7	क्या रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि बिना किसी संकुचन के विभिन्न कक्षों में मशीन, उपकरणों, कार्मिकों इत्यादि के लिए पर्याप्त स्थान है।	
6.8	क्या, वहां प्रक्रमण और रहने वाले क्षेत्रों के मध्य स्पष्ट विभाजन हैं	
7.	**संयंत्र सुविधाएं।**	
7.1	क्या यहां पर अखाद्य सामग्री के भंडारण दुर्गधनाशक और कीटनाशी के भंडारण के लिए पृथक स्थान है।	
7.2	क्या यहां पर आर्द्र और शुष्क मदों के भंडारण के लिए पृथक सुविधाएं है	
	• पैकिंग सामग्री का भंडारण। • कार्मिकों के लिए विश्राम कक्ष। • कार्मिकों के लिए कपड़े बदलने का कक्ष।	
7.3	वाहन धोने की सुविधाएं।	

7.4	जन शोधन संयंत्र।	
7.5	आघात के समय में चेतावनी के लिए अलार्म प्रणाली।	
7.6	जनरेटर।	
7.7	शौचालय।	
8.	**कच्चा माल प्राप्ति अनुभाग**	
8.1	क्या वहां कच्ची सामग्री को उतारने समय, दोनों दिशाओं में, ऊपर चबूतरा है, जो प्रदूषण से सुरक्षित रख सके।	
8.2	क्या भंडारण खंड, प्रसंस्करण क्षेत्र से पर्याप्त दूरी पर है ताकि संदूषण को रोका जा सके।	
8.3	क्या कार्मिकों को प्रवेश पूर्व और प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात हस्त एवं पाद प्रक्षालन तथा कृमि मुक्त करने के निर्देश सूचना तट उपलब्ध है।	
8.4	क्या हवाई पर्दे/पारदर्शी दरवाजे खुले होने पर मक्खियों की प्रविष्टि रोकते हैं।	
9.	**प्रक्षालन और स्वच्छता सुविधा।**	
9.1	क्या प्रवेश बिन्दुओं पर समुचित हस्त व पाद प्रक्षालन सुविधा की व्यवस्था है।	
9.2	क्या हस्त प्रक्षालन के साधन तक सुविधाजनक स्थान पर बनाए गए है (स्थित हैं)।	
9.3	क्या प्रक्षालन पात्रों में ऐसी नलें लगाई गई हैं, जो हस्त संचालन मुक्त हैं।	
9.4	क्या द्रव्य साबुन, कीटनाशक, नाखून साफ करने वले ब्रश और एक बार कम आ सकने वाले तौलिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।	
9.5	क्या प्रयुक्त तौलियों को डालने के लिए कचरा डिब्बों की व्यवस्था है और क्या पैर से संचालित है।	
9.6	क्या प्रवेश द्वार पर हाथ डुबाने के लिए क्लोरिन युक्त जल की व्यवस्था है।	
10.	**दरवाजे।**	
10.1	क्या दरवाजे स्वच्छ और पर्याप्त चौड़े है, तथा काठ रहित टिकाऊ पदार्थ से बने होंगे।	
10.2	क्या दरवाजे स्वच्छ रखे जाते हैं।	
10.3	क्या दरवाजें स्वचालित किस्म के हैं	
10.4	क्या दरवाजे संकीर्ण फिटिंग्स के हैं, ताकि मक्खियों एवं कीटाणु उनमें प्रविष्टियां रोक सके।	
11.	**खिड़कियाँ**	
11.1	क्या पर्याप्त माप की खिड़कियाँ, काठ के अतिरिक्त अशोधक तत्व की बनी होगी।	
11.2	क्या खिड़की टेढ़ी है, यदि कोई है, अंदर की ओर झुकी हुई है।	

11.3	क्या खिड़कियाँ फर्श से न्यनूतम एक मीटर ऊपर हैं।	
12.	**फर्श**	
12.1	क्या फर्श की ठोस सतह है, अभेद्य, चिकनी, गड्ढों, दरार से मुक्त हैं।	
12.2	क्या फर्श धुलने योग्य है और पर्याप्त ढलान हैं।	
12.3	क्या फर्श का ढलान, या दिशाओं में कार्य के विपरीत हैं।	
12.4	क्या कच्चे माल और बर्फ के डिब्बों को रखने हेतु फर्श के पटरे काम के अतिरिक्त अशोषित धातु के हैं।	
13.	**जल निकासी**	
13.1	क्या जल निकासी की पर्याप्त सुविधाएं हैं।	
13.2	क्या जल निकासी के अंतिम भाग (कृदंतक) के प्रवेश का प्रतिरोधक हैं।	
13.3	क्या वहां निस्सार जल के निकासी की सुविधाएं होगी जिससे फर्श को शुष्क रखा जा सके।	
13.4	क्या जल निकासी के लिए दोनों ओर पर्याप्त आकार के ढलान है और जो आसानी से साफ हो सके।	
13.5	क्या जल निकासी का ढलान कार्य/सामग्री के विपरीत हैं।	
14.	**दीवारें**	
14.1	क्या फर्श में दीवारें और दीवारें से दीवार के किनारे समुचित घुमावदार हैं।	
14.2	क्या दीवारें, चिकनी, हल्के रंग की और दरार रहित हैं।	
14.3	क्या दीवारें धुलने योग्य हैं।	
14.4	क्या स्विच और दीवारें पर लगे प्रतिस्थापन जल रोधक और सफाई योग्य हैं।	
15.	**धुलाई और सफाई**	
15.1	क्या हाल में हस्त प्रक्षालन और सफाई की सुविधाओं का प्रावधान हैं।	
15.2	क्या वाश–बेसिन में हस्त चालित के संचालन का प्रावधान हैं।	
	नल।	
15.3	क्या जल की टोंटियाँ हस्तचालित नहीं हैं।	
15.4	क्या पानी को टोंटियों पर क्रमांक लिखे हैं।	
15.5	यदि जल निकासी के लिए पानी छिड़कने की नली है, क्या प्रयोजन न होने पर उन्हें तह करके रखने की व्यवस्था है।	
16.	**छत**	
16.1	क्या छत ठीक स्थिति में है और उसे साफ किया जा सकता है।	

16.2	क्या ऊपर की कड़ियों पर छिपकलियां, कॉक्रोच आदि चलते हैं।	
16.3	क्या वहां कड़ियाँ, बंधन, पाइप या अन्य ढांचागत तत्व या फिटिंग्स हैं, जिन्हें छत पर नहीं लगाया गया हैं।	
16.4	यदि है, तो क्या मलबा, धूल या रिसाव गिरने से रोकने का प्रबंध हैं।	
16.5	क्या कृदंतक और मक्खियों से बचाव का प्रबंध संतोषजनक हैं।	
17.	**प्रकाश**	
17.1	क्या प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, उद : संपूर्ण निरीक्षण क्षेत्र में 540 लक्स तथा 220 लक्स कार्यकक्ष में और दीवारों पर हैं।	
17.2	क्या प्रकाश पर्याप्त रूप से सुरक्षित है।	
17.3	क्या प्रकाश स्वच्छ हैं।	
18.	वायु संचार।	
18.1	क्या वायु संचार पर्याप्त हैं।	
18.2	जहां पर तरल इत्यादि संसाधित हो, वहां वायु प्रवाह न हो, उन क्षेत्रों पर यांत्रिक वायु संचार/वायु निष्कर्षित पंखों का प्रावधान हैं	
18.3	क्या रोशनदानों/वायु निष्कासन पंखों पर मक्खीरोधक लगे हैं।	
18.4	यदि ऐसा है, मक्खी रोधक स्वच्छ है।	
19.	**बर्तन और उपकरण**	
19.1	क्या सभी आधान पात्र, टंकियां, बर्तन, काठ के अतिरिक्त रक्षात्मक तत्व के बने हैं, क्या उसकी सतह चिकनी और दरारों रहित हैं।	
19.2	क्या उन्हें सुगमता से साफ किया जा सकता हैं।	
19.3	क्या उत्पाद के रखरखाव के लिए, कोई जंग लगा चमकदार लोहा, पात्र, बॉस की टोकरी जालीदार पात्र, धातु चढ़ित या रंगे हुए बर्तनों का प्रयोग किया जाता है।	
19.4	क्या तराजू और बॉट पर नामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं।	
20.	**शीत कक्ष**	
20.1	क्या कच्चा माल के भंडारण के लिए शीत कक्ष की व्यवस्था हैं।	
20.2	क्या वह स्वच्छ है और इसका रखरखाव 0^0 से 4^0 के तापमान हैं।	
20.3	क्या कच्चा माल और बर्फ रखने के लिए काठ के अतिरिक्त पदार्थ के पटरों के प्रावधान हैं।	
21.	**प्रसंस्करण अनुभाग**	

21.1	क्या कर्मचारियों के लिए प्रसंस्करण हॉल में जाने से पूर्व और हर अनुपस्थिति के बाद हाथ–पैर धोने और साफ करने के बाद निर्देशक चिन्ह बोर्ड लगे हैं।	
21.2	क्या दरवाजा खुलने पर मक्खियों के प्रवेश रोकने के लिए वायु पर्दे/मक्खी नाशकों की व्यवस्था हैं।	
21.3	कच्चा दूध किस तापमान (4^{0} सें. या 6^{0} सें.) पर रखा जाता है और कितनी देर तक रखा जाता है।	
21.4	क्या तापोपचारित दूध अधिसूचना के अनुबंध–क की अपेक्षाओं को पूरा करता है (कृदंतकों के नाश करने की विधि)।	
21.5	क्या पाश्चुरीकरण इस अधिसूचना के उपाबंध ''ग'' के खंड–2 (क) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हैं	
21.6	क्या दुध प्रसंस्करण अधिसूचना के अनुबंध–ग के अनुसार हैं।	
22.	**मेज, बर्तन और उपकरण**	
22.1	क्या कार्य मेजों के ऊपरी भाग स्टेनलेस स्टील का या अन्य किसी अजंगरोधी और अप्रतिरोधक अशोषित सामग्री का हैं। (स्पष्ट करें)	
22.2	क्या मेजों की संरचना इस प्रकार की गई है कि ऊपर की सतह पर सुविधापूर्वक स्वच्छता की जा सके।	
22.3	क्या मेज की ऊपरी सतह चिकनी संक्षारक गढ्ढे और दरारों से मुक्त होगी, जो संतुष्टि पूर्ण स्वच्छता प्रदान करेगा।	
22.4	क्या कार्य मेजों के गठन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है।	
22.5	क्या सभी आधान पात्र ट्रे, नाँद और बर्तन सुक्षारक तत्व के बने हैं। क्या उनकी सतह चिकनी और दरारों रहित हैं।	
22.6	क्या उत्पाद के रखरखाव जंग लगे चमकदार लोहे के पात्र, बॉस की टोकरी, तार के जाली के डिब्बे तामचीनी या रंगे बर्तन प्रयोग किए जाते हैं।	
22.7	क्या तराजू और बाँट पदनामित अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।	
23.	**जल।**	
23.1	क्या प्रलेखित जल प्रबंधन प्रणाली है।	
23.2	क्या चिन्हित/चिन्हित निर्गमों पर जल संभरण योजना में नलसाजी रेखा चित्र उपलब्ध हैं और क्रमांकित है।	

23.3	क्या सुरक्षित जल संभरण के अतिरिक्त अन्य का स्रोत हैं, स्पष्ट करे।	
23.4	क्या प्रत्येक जल स्रोत के लिए पेयता का प्रमाण–पत्र दिया गया है।	
23.5	क्या उपकरण और फर्श आदि धोने के लिए प्रयुक्त जल पेय क्वालिटी का है।	
23.6	क्या जल शोधन संयंत्र है।	
23.7	यदि हां, तो क्या प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराए।	
23.8	जल निकासी के लिए जल नलिकाओं का प्रयोग होने पर क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं, जिससे वापसी जल दूषित न हो।	
23.9	क्या वहां जल भंडारण टंकियाँ है और यदि हां, तो क्या बाह्‌य प्रदूषण से सुरक्षित हैं।	
23.10	क्या स्वच्छता हेतु टैंक तक पहुंच आसान है।	
23.11	पानी जमा करने के टैक की क्षमता कितनी हैं	
23.12	क्या दैनिक उत्पादन के लिए जल संभरण अधिकतम हैं।	
23.13	क्या इसे सावधिक रूप से स्वच्छ और कीटाणु रहित किया जाता है।	
23.14	बारबांरता तीव्रता क्या है।	
23.15	क्या जल टंकियों की स्वच्छता के लिए कोई प्रलेखित प्रक्रिया है।	
23.16	क्या सचल टैंकरों में बाहरी स्रोतों से जल लाया जाता हैं।	
23.17	यदि हां, तो क्या उन्हें सावधिक रूप से स्वच्छ और कीटाणुमुक्त किया जाता है।	
23.18	क्या जल टैंकरों की स्वच्छता के लिए कोई प्रलेखित प्रक्रिया हैं	
24.	**नमक रसायन/संयोजन।**	
24.1	यदि प्रसंस्करण में नमक का प्रयोग किया जाता है, तो क्या स्टैफिलोकोकाइ, क्लोस्ट्रिडियम और सल्फाइट में जीवाणु समुचित करने में इसकी जांच की जाती है और अभिलेख रखे जाते हैं।	
24.2	यदि प्रसंस्करण में प्रयुक्त योज्य/रसायन प्रयुक्त होता है, तो क्या वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।	
24.3	क्या प्रसंस्करण में प्रयुक्त योज्य/रसायन की शुद्धता के अभिलेख रखे जाते हैं।	
24.4	क्या अंतिम उत्पाद में अवशिष्ट पदार्थों की जांच की जाती हैं और अभिलेख रखे जाते हैं।	

24.5	क्या दुग्ध/दुग्ध उत्पादों की भारी धातु प्रति जैविकी, कीटनाशकों के अवशिष्टों और तीव्र जहरीले, प्रदूषकों तथा आपत्तिजनकों के लिए जांच की जाती है।	
24.6	क्या एचएसीसीपी योजना में इन अपेक्षाओं का उचित ज्ञान देता है।	
25.	**प्रशीतन**	
25.1	किस प्रकार का प्रशीतन किया है।	
25.2	क) धुंआरा प्रशीतन। ख) स्पर्श प्रशीतन। ग) कोई अन्य प्रकार (उल्लेख करें)	
25.3	क्या प्रयुक्त प्रशीतन प्रणाली उत्पाद अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त है।	
25.4	प्रशीतकों की कुल संख्या और उनकी पृथक क्षमता।	
25.5	क्या प्रशीतकों संयंत्रों के रखरखाव, स्वच्छता और रोगाणुमुक्त करने की निर्धारित प्रक्रिया/प्रणाली है।	
25.6	क्या तापमान दर्ज करने के उपकरण अपेक्षित क्षमता के है कि कालांतर में उनका आंशांकन होता है इसके लिए अभिलेख रखे जाते हैं।	
26.	पैकिंग और भंडारण	
26.1	क्या पैकिंग हेतु पृथक क्षेत्र उपलब्ध हैं।	
26.2	क्या पैकिंग कक्ष में कृदंतक नियंत्रण प्रणाली हैं।	
26.3	क्या भरण, सील करने के लिए/सील बंद करने और पैकेजिंग स्वचालित होता है।	
26.4	क्या लपेटन और पैकेजिंग को पुनः उपयोग किया जाता है।	
27.	**शौचालय सुविधाएं**	
27.1	क्या कार्मिकों की संख्यानुसार शौचालयों की संख्या पर्याप्त हैं।	
27.2	क्या शौचालय प्रसंस्करण क्षेत्र से दूरी पर है ताकि संदूषण न हो।	
27.3	क्या शौचालय की दीवारें धोने योग्य है, छत समतल और फर्श अपारगम्य सामग्री का बना है तथा स्वच्छता सुगमता से मलव्ययन सुगमता से हो सकता है।	
27.4	क्या शौचालयों में पर्याप्त प्रकाश है।	
27.5	क्या उनमें स्वतः चलित बंद होने वाले दरवाजे हैं, मक्खी रोधक और प्रक्षालन की व्यवस्था है।	
27.6	क्या शौचालयों में हस्त प्रक्षालन स्वच्छता सुविधाएं हस्त प्रक्षालन चिलमची साबुन एकल प्रयोग तौलिए, नाखून ब्रश और जलापूर्ति के संभरण का प्रावधान है।	

28.	**व्यक्तिगत स्वच्छता**	
28.1	कार्मिकों के व्यक्तिगत स्वच्छता के रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी हैं	
28.2	क्या कार्मिक स्पष्ट रूप से किसी भी संक्रामक रोग, खुले घाव और फोड़े या किसी अन्य दूषक संक्रामक स्रोत से मुक्त हैं।	
28.3	क्या कार्मिकों की डॉक्टरी जांच सावधिक रूप से की जाती है और प्रत्येक का स्वास्थ्य कार्ड यह दर्शाता है कि जिससे यह दर्शाया जाए कि प्रत्येक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में काम करने योग्य है।	
28.4	क्या संयंत्र कार्मिकों को प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसका रिकार्ड प्रत्येक कार्ड में रखा जाता है।	
28.5	क्या सभी कार्मिकों को अपने घर में हुए टाइफाइड, अतिसार, वमन और अन्य संक्रामक रोगों की सूचना देना अनिवार्य है।	
28.6	क्या कार्मिकों को किसी संक्रामक रोग से पीड़ित होने पर उसके कारणों की चिकित्सा प्रत्येक अनुपस्थिति के उपरांत परीक्षा की जाती है।	
28.7	क्या कार्मिकों को स्वच्छ कपड़े और शीर्ष टोप का पर्याप्त प्रावधान है।	
29.	संयंत्र के उपकरण पात्रों और संयंत्र का रोगाणुमुक्त किया जाना।	
29.1	क्या वहां संयंत्र में उपकरण और बर्तन को रोगाणुनाशन और स्वच्छता के लिए दस्तावेज़ प्रक्रिया है।	
29.2	क्या स्वच्छता परिशिष्ट सुस्पष्ट, प्रदर्शित की गई है।	
29.3	क्या वहां रोगाणुमुक्त स्वच्छता के लिए बर्तन और उपकरणों के लिए एक क्षेत्र को चिन्हित किया गया है।	
29.4	क्या शीत/उष्ण जल/भाप दाब/जब भी पर्याप्त हो, स्वच्छता और रोगाणुमुक्त किए जाने की सुविधाओं का प्रावधान है।	
29.5	अवशेषों की अनुपस्थिति में रसायन स्वच्छता कैसे सुरक्षित की गई है।	
29.6	कौन इस कार्य की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।	
29.7	क्या प्रयोगशाला जांच द्वारा आवधिक स्वच्छता का प्रभावी सत्यापन किया जाता हैं	
30.	**वाष्प और वायु संभरण।**	
	क्या वाष्प प्रत्यक्ष खाद्य और खाद्य सतह संपर्क में आती है, तत्व मुक्त है। क) स्वास्थ्य के लिए जोखिम होगा। ख) खाद्य संदूषण होगा।	

	– दाब वायु प्रविष्ट वायु प्रत्यक्ष खाद्य संपर्क में आती है। क) क्या वायु छलनी अंतर्ग्रहण स्वच्छ स्थान पर है। ख तेल समाविष्ट नहीं/अन्य स्वास्थ्य जोखिम पदार्थ। ग) खाद्य संदूषण नहीं करें। – क्या वायु छलनी नियमित स्वच्छ और प्रतिस्थापन किया जाता है।	
31.	**बदलने का कक्ष।**	
31.1	क्या पुरूष और स्त्री कार्मिकों के लिए पृथक बदलने का कक्ष उपलब्ध कराया गया है, कितने।	
31.2	क्या बदलने वाला कक्ष संयंत्र के उपयुक्त नक्शे से संपूर्ण किया गया है।	
31.3	क्या बदलने के कक्ष की दीवारें, चिकनी, फर्श सतह, हस्त प्रक्षालन पात्र सहित साबुन सहित तौलिए निपटान नाखून, ब्रुश और हाथ धोने वाले नल है।	
31.4	क्या वहां इसके लिए व्यवस्था हैः क) जूतों को बदलने के लिए, ख) बाह्य वस्त्र पृथक रखने के लिए, ग) ताला बंद अलमारी। घ) मैले, कार्य करने के वस्त्रों को एकत्रित करना, ङ) गम बूट्स, च) शीर्ष टोप और दस्ताने जहां आवश्यक है, मुंह का आवरण।	
31.5	क्या वहां कार्मिकों के कार्य कपड़ों को धोने के लिए घरेलू धोबी की उचित व्यवस्था है।	
31.6	क्या बदलने वाले कक्ष में, प्रवाह की व्यवस्था है, क्या यह स्वच्छ और स्वास्थ्यकर है।	
31.7	क्या शौचालय का दरवाजा सीधे प्रसंस्करण क्षेत्र को खुलता है।	
32.	**बहिष्प्रवाही उपचार।**	
32.1	क्या संयंत्र में एक पर्याप्त बहिष्प्रवाही शोधन प्रणाली है।	
32.2	क्या वहां सांवधिक अपेक्षाओं सहित अनुपालन हो रहा है।	
32.3	क्या पड़ोसी को बहिष्प्रवाही कारण से कोई समस्या हो रही है।	
33.	**व्यवस्था अनुसूची**	
33.1	वहां दस्तावेज़ी व्यवस्था प्रक्रिया के लिए विभिन्न अनुभाग/उपकरण/मशीनरी, प्रयोगशाला इत्यादि है, दस्तावेज की संख्या दी जाए।	
33.2	क्या अभिलेखों का रखरखाव है।	
33.3	क्या सभी उपकरण चिन्हित/पहचान संख्या सहित है।	

34.	**एचएसीसीपी।**	
34.1	क्या स्वयं जांच प्रणाली एचएसीसीपी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है।	
34.2	क्या एचएसीसीपी प्रमाणित है, यदि है किसके द्वारा कृपया प्रमाण दें।	
34.3	यदि ऐसा है, तो एचएसीसीपी मैनुअल सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है।	
34.4	जबकि लेखे इस उद्देश्य के लिए अभिलेखों का रखरखाव है।	
34.5	जबकि पर्यवेक्षण की आवृत्ति का आलोचना सीमाएं सीसीपी पर पर्याप्त है।	
34.6	जबकि वहां एचएसीसीपी की आंतरिक लेखा परीक्षा का है।	
34.7	जबकि ब्रेकडाउन और मालफगसन्स अभिलेखित हैं।	
34.8	वहां प्रक्रिया और आवृत्ति समीक्षा का परिशोधित का प्रावधान हैं?	
35.	**कीटाणु/कृदंतक नियंत्रण**	
35.1	क्या वहां कृदंतक नियंत्रण के लिए कोई प्रलेख प्रक्रिया है?	
35.2	यद्यपि इस कार्य के लिए उत्तरदायित्व नियत किया गया है?	
35.3	यद्यपि कृदंतक/कीटाणु नियंत्रण के लिए स्वयं व्यवस्था की गई है, या बाह्य अभिकरण द्वारा है?	
35.4	क्या जाल मानचित्र में कार्मिक संख्या है, जाल खंडों का प्रावधान है?	
35.5	यद्यपि रसायन/कृदंतकनाशी सक्षम प्राधिकारिक द्वारा अनुमोदित हैं?	
36.	परिवहन।	
36.1	कच्चा सामग्री और अंतिम उत्पादों के परिवहन के लिए इकाई में पर्याप्त सुविधाएं हैं?	
36.2	क्या वाहन उष्मारोधी/प्रशीतित हैं?	
36.3	यदि कच्ची सामग्री के लिए कम दूरी के लिए परिवहन के लिए कम दूरी के लिए उष्मारोधी वाहन प्रयोग में लाए जाते हैं, ढके हुए डिब्बे का प्रावधान है?	
36.4	क्या इनकी संरचना इस प्रकार से की गई है कि जिसे सुविधा से साफ और स्वच्छ की जा सके?	
36.5	क्या वाहनों को आवधिक स्वच्छ और कीटाणु रहित किया गया है?	

36.6	क्या वहां वाहनों की साफ करने के लिए प्रलेख प्रक्रिया है?	
37.	**निरीक्षण और परीक्षण।**	
37.1	निरीक्षण और परीक्षण के लिए इकाई में घरेलू सुविधाएं हैं।	
37.2	क्या इकाई में पृथक योग्य और सक्षम कार्मिक है, जो भौतिक रसायन और सूक्ष्म जीवाणु जांचों के लिए उपलब्ध है? विवरण दिया जाए?	
37.3	वहां प्रसंस्करण और प्रयोगशाला जांचों के लिए परिवेक्षण के लिए पृथक तकनीक है।	
37.4	अन्य कोई संबंधित सूचना।	

भवदीय
हस्ताक्षर
नाम
स्थानः पदनाम
दिनांकः कंपनी की सील

अनुलग्न सूची की जांच।

अनुसूची–II

इकाई के अनुमोदन के पत्र का प्रारूप

दिनांक :

पत्र संख्या
सेवा में,
मैसर्स . . . .
. . . .
विषय :–
संदर्भ :–
महोदय,

आपके आवेदन के संदर्भ में संख्या . . .. . . दि. . .. . संसाधन के लिए आपके प्रतिस्थापन के अनुमोदन के लिए और निर्यात के लिए दुग्ध उत्पादों की पैकिंग, निर्यात दुग्ध उत्पादों (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2000 की अपेक्षाओं के अंतर्गत प्रतिस्थापन की अंतर्विभागीय पैनल (आईडीपी) द्वारा रिपोर्ट के आधार पर निर्धारण किया गया है। पर . . . . . तारीख आपके प्रतिस्थापन की एक वर्ष की अवधि तक अनुमोदन अनुदान देने का निर्णय लिया गया है और सहित . . . . निम्नलिखित विवरण नियमानुसार हैः

1. प्रतिस्थापना का नाम और पता।
   क) प्रतिस्थापना का नाम।
   ख) पंजीकृत कार्यालय का नाम।
2. अनुमोदन संख्या।
3. अनुमोदन का कार्य क्षेत्र (आवरण मदें)

प्रतिस्थापन, दुग्ध उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और निगरानी) नियम, 2000 के नियम 4.18 के अनुसार निनिअ द्वारा पूर्ण परीक्षण के अंतर्गत लाया गया हैं। आपको परामर्श दिया जाता है कि अधिसूचना के अनुसार स्वयं जांच करें।

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके जमा खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहे ताकि निगरानी शुल्क का भुगतान समयानुसार हो सके तथा ''निर्यात प्रमाणपत्र'' की दो प्रति इस कार्यालय को एक माह के अंदर जमा करे ताकि निगरानी शुल्क का भुगतान किया जा सके।

प्रतिस्थापन द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाणपत्र की अवधि जारी करने के 45 दिनों तक वैध रहेगी।
अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए उसकी समाप्ति से 60 दिन पूर्व कार्यालय को आवेदन करें।
कृपया पावती दें।

भवदीय
निनिअ प्रभारी
प्रतिलिपि
1. निदेशक (निरी. एवं क्वा.), निनिअ, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक (प्रभारी) निनिअ–मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली व चैन्नई

परिशिष्ट–II

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
अनुमोदन का प्रमाण–पत्र

. . . .

दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2000 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का. आ. 2720 तारीख 28 नवंबर, 2000 भारत के राजपत्र में भाग– II, खंड–3, उपखंड– II तारीख 16 दिसंबर, 2000 को प्रकाशित किया गया।

. . . .

(संयंत्र का नाम)

उनके पंजीकृत कार्यालय पर . . . .

. . . .

(पंजीकृत कार्यालय का पता)

एतद् द्वारा अनुमोदित/एक वर्ष के अवधि के नवीनीकरण की स्वीकृति की जाती है। वैधता सहित . . . . अनुमोदन संख्या के अंतर्गत . . . . प्रक्रम के लिए. . . . .

. . . . निर्यात के लिए

(अनुमोदन का क्षेत्र)

इसका संयंत्र स्थिति है पर . . . .

. . . .

(संयंत्र की स्थिति)

संयंत्र जी.ओ.आई. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2720 दि. 28 नवंबर, 2000 और 16 दिसम्बर, 2000 से अपेक्षाओं की शर्तो के अनुरूप प्रभावी रहेगा।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक :

निर्यात निरीक्षण परिषद्
भारत सरकार

हस्ताक्षर
नाम : शशि सरीन
पदनाम : निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण)

नई दिल्ली, वाईएमसीए भवन, तीसरी मंजिल,
1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001
फोन : 0091–11–3748188, 3748189, फैक्स : 0091–11–3748024
ई–मेलः eic@ndf.vsnl.net.in

परिशिष्ट–।@।

प्रतिस्थापन के अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रारूप
सेवा में,
संयुक्त निदेशक (प्रभारी),
निनिअ – मुंबई, कोलकाता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास

महोदय,
आपको सूचित किया जाता है कि हमारा प्रतिस्थापन दुग्ध उत्पाद के निर्यात के अंतर्गत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा अनुवीक्षण) नियम, 2000 के द्वारा आपके पत्र संख्या . . . तारीख. . . . . . के अंतर्गत अनुमोदित है, ... क्योंकि प्रदत्त अनुमोदन . . . . को समाप्त हो रहा है कि हम डिमांड ड्रॉफ्ट/चैक सं. . . . . तारीख . . . . . द्वारा रु. 5,000/– आवेदन शुल्क के साथ अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण दे रहे हैं और आपसे अनुमोदन के नवीनीकरण की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं।

1. अनुमोदन संख्या।
2. पिछले एक वर्ष के दौरान निर्यात की मात्रा।
3. पिछले एक वर्ष के दौरान वार्षिक उत्पादन।
4. पिछले एक वर्ष के दौरान निनिअ को दिया गया शुल्क।
5. पिछले एक वर्ष के दौरान आयातित देशों द्वारा शिकायतों की संख्या।
6. • यदि हां, तो विवरण दे।
6. प्रत्येक सरकारी संस्था से पिछले एक वर्ष के अंतर्गत मान्यताप्राप्त
   - डीजीएफटी कोड संख्या।
   - एपिडा पंजीकरण संख्या।
7. प्रबंधन में परिवर्तन का ब्यौरा, यदि कोई हो।
8. संगठन के अध्यक्ष का नाम।
9. पेय जल की प्रमाणपत्र संख्या (प्रति संलग्न करें)।
10. एचएसीसीपी नियमावली की प्रति, यदि संशोधित हैं।
11. पिछले एक वर्ष में नक्शों में परिवर्तन।
12. पिछले एक वर्ष के अंतर्गत अनुभागीय सुविधाएं/उपकरण।
   - कच्चे माल के कूटने की सुविधाएं।
   - प्रक्रम।
   - पैकिंग।
   - भंडारण।
   - मार्गस्थ।
   - भूमि पर तथा प्रयोगशाला सुविधाएं
13. दूसरी अन्य संबंधित सूचना।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

भवदीय

स्थान :
तरीख :

कंपनी की सील के साथ संगठन के
अध्यक्ष के हस्ताक्षर

निरीक्षण प्रमाण–पत्र

निर्यातक का नाम, पता 1. बीजक संख्या एवं तारीख 6.
क्रेता आदेश संख्या व तारीख 7.

विनिर्माता का नाम व पता 2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण– 8.
कोलकाता / कोचीन / दिल्ली / मुंबई / मद्रास
(वाणिज्य मंत्रालय)
भारत सरकार

विनिर्माता का विवरण सहित मोहर, यदि कोई है। 3. संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण का पता

तक वैध और . . . . सहित

निरीक्षण अभिकरण द्वारा सील का विवरण, यदि कोई है। 4.

विनिर्देश संदर्भ 5. प्रमाण–पत्र संख्या 9.

पहचान और मदें 10. संख्या और पैकिंग के प्रकार 11. उत्पाद का विवरण 12. गुणवत्ता 13. पोत लदान पूर्व राशि (रु.) 14.

टिप्पणी, यदि कोई हो पोत लदान पूर्व पुनरीक्षण के लिए मोहर 15.

xx निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणपत्र। 16.

यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2000 के अंतर्गत निरीक्षण अपेक्षाओं के अनुसार परेषणवार का विवरण उपरोक्त दिया गया है। जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर

यह संतोषजनक शर्तो के अनुसार अनुकूल, यह प्रमाणित और निर्यात योग्य है।

निरीक्षण की तारीख . . . .

अथवा

xx गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रक्रम के अंतर्गत प्रमाणपत्र।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किए गए नियंत्रण के अनुसार इसमें दी गई वस्तुओं का ब्यौरा दुग्ध, निर्यात के अंतर्गत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2000 के निर्धारित मानक के अनुरूप विनिर्देशानुसार है।

हस्ताक्षर . .
नाम . .
पदनाम . .
तारीख . .

(XX) निरीक्षण सूचना में पाद टिप्पणी से संदर्भित, वर्णन में श्रेणी आकार ब्रांड होना चाहिए (xx) जो लागू नहीं है, उसे काट दीजिए।

परिशिष्ट–।/।

बुक नं . . . . स्वास्थ्य प्रमाणपत्र क्रम संख्या . .

निर्यात आशय के लिए दुग्ध उत्पाद

प्रेषण देश भारत
सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण अभिकरण – मुंबई, कोलकाता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास
निर्यात प्रमाणपत्र की संदर्भ संख्या (प्रक्रम संयंत्र द्वारा जारी)

1. दुग्ध उत्पाद पहचान ब्यौरा
   वर्णन
   मात्रा
   पैकिंग का प्रकार
   पैकिंग का संख्या
   मार्गस्थ तथा भंडारण में अपेक्षित तापमान
   विनिर्माण दिनाँक
   समाप्ति की तारीख

2. दुग्ध उत्पाद का उत्पत्ति स्थान
   सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्यात के लिए प्राधिकृत प्रक्रम संयंत्र या उपक्रम के पते तथा संख्या

   संयंत्र की अनुमोदन संख्या
3. दुग्ध उत्पादक गंतव्य स्थान
   दुग्ध उत्पाद . . . . से प्रेषित किया जाना है।
   से . . . . (प्रेषण का स्थान)
   को . . . . (गंतव्य स्थान और देश)
   निम्नलिखित परिवहन के साधनों द्वारा . . . .
   प्रेषणकर्ता का नाम व पता,
   प्रेषणकर्ता का नाम तथा पता गंतव्य के स्थान पर
   एलसी ब्यौरा
4. स्वास्थ्य प्रमाणन

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दुग्ध उत्पाद के निर्यात की स्वास्थ्य शर्तों के अंतर्गत (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और अनुवीक्षण) नियम, 2000 के अनुसार रखरखाव प्रसंस्कृत, भंडारण तथा परिवहन किया गया है और दिए गए मानकों के अनुसार एकरूपता पाई गई और मानव उपभोग के लिए उचित पाया गया। जहां दुग्ध उत्पाद प्रक्रमित किया गया है, वह निनिअ (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा नियमित अनुवीक्षण तथा अनुमोदित है।

जारी करने का स्थान प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
जारी करने की तारीख नाम . . . .
मुहर पदनाम . . . .